

न्यायालय अति० जिला कलक्टर, (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/61/2022, रजि० न० 2022/127

अपीलार्थी:-

श्री हंसराज जागिड एड० सैशन कोर्ट
परिसर बांदीकुई जिला दौसा (राज०)

प्रत्यर्थी:-

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी रैणी।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 19.04.2022

1-अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रैणी को आवेदन पत्र दिनांक 04.12.2021 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावे।

2-अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रैणी। द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।

3-अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रैणी से जरिये पत्र क्रमांक 264 दिनांक 25.03.2022 के द्वारा जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 05.04.2022 को उपस्थित आवे।

4-अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रैणी ने जरिये पत्र क्रमांक 937 दिनांक 01.04.2022 के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रैणी द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्र क्रमांक 6696 दिनांक 16.12.2021 के द्वारा सूचना उपलब्ध करायी जा चुकि है। अतः अपील अपीलांत खारिज किये जाने योग्य है।

5-राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रैणी द्वारा अपील का बिन्दुवार जवाब/सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करा दिये जाने के कारण अपील अपीलांत खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।

6-निर्णय आज दिनांक 19.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7-पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(सुनील खोरवाल)
अति० जिला कलक्टर, (द्वितीय)
अलवर, (राजस्थान)